झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 7636, 12/10/18

संकल्प

विषय :– दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग की अधिसूचना सं0–609, दिनांक–25.01.2016 द्वारा राज्य सरकार के अधीन दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार पाँच (5) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0–36035/3/2004–Estt(Res), दिनांक–29.12.2005 में भी दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दस (10) वर्षों की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अधीन दिव्यांग जन के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन था।

2. दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट निम्नवत् प्रदान करती है :–

क्रम सं0	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–609, दिनांक–25.01.2016 के सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

12/10/18

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का॰– 7636 /रांची, दिनांक 12|10|18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

12/10/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का॰– 7636 /रांची, दिनांक 12|10|18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

12/10/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016 का॰– 7636 /रांची, दिनांक 12|10|18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

o/c

Scanned with CamScanner